UPBS010045722022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-2, जनपद बस्ती।

पीठासीन अधिकारी- (श्रीमती जेबा, अपर सत्र न्यायाधीश, UP02647)

आपराधिक निगरानी संख्या-117/2022

देवेन्द्र बहादुर सिंह आयु 73 साल पुत्र स्व० सुमेर सिंह ,
भूतपूर्व स्पेशल आफिसर / लॉ आफिसर यू० पी० स्टेट
शुगर कार्पोरेशन मुण्डेरया इकाई बस्ती, जनपद बस्ती।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1-प्राविडेन्ट फन्ड इन्सपेक्टर,सिविल लाइन कार्मेल स्कूल के सामने
गोरखपुर थाना कैन्ट गोरखपुर।

.....रेस्पांडेन्ट नं० 1

2-रीजनल प्राविडेन्ट फन्ड कमिश्नर,
यू० पी० निधि भवन सर्वोदय नगर कानपुर उ० प्र० ।

.....रेस्पांडेन्ट नं० 2

निर्णय

1- यह आपराधिक निगरानी, निगरानीकर्ता देवेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा दाण्डिक परिवाद Cri. Case NO-2902596/1986, मुकदमा सं०-420/2013 अन्तर्गत धारा 14/16 पी०एफ० एक्ट, थाना मुण्डेरवा , जनपद बस्ती, में विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13-09-2022 के विरूद्ध दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया है।

2- **संक्षेप मे निगरानी के तथ्य इस प्रकार है किः-** निगरानीकर्ता /अभियुक्त डी०बी० सिंह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र उन्मोचन दिनांकित-17-04-2009 प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा यह कथन किया गया कि-*''अभियोजन पक्ष द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-244 के अन्तर्गत दिये गये साक्ष्यों से प्रार्थी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। प्रार्थी घटना के समय स्पेशल आफिसर के पद पर कार्यरत था और प्रार्थी किसी भी प्रकार से पी०एफ० आदि के कटौती एवं भुगतान करने के लिये अधिकृत नहीं था और न ही अभियोजन की तरफ से ऐसा कोई साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी किसी प्रकार से उत्तरदायी है। प्रार्थी स्पेशल आफिसर था और कार्यालय में जनरल मैनेजर की*

Digitally signed by ZAIBA MAJID
Date: 2025.10.10 10:35:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तरफ से पत्राचार का जवाब देता था। अभियोजन साक्षी श्री लालसम दोहरे ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि अभियुक्त डी०बी० सिंह स्पेशल अफसर के पद पर थे और जनरल मैनेजर की तरफ से पी०एफ० कार्यालय से पत्राचार किये हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थी प्रत्यक्ष रूप से पी०एफ० आदि की कटौती कर जमा करने का उत्तरदायी है। अभियोजन साक्षी लालराम दोहरे के अभिकथनों को अन्य साक्षी श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने भी डिटो किया है। कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त वर्णित कथन करते हुए आवेदक/अभियुक्त को उक्त अपराध से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

3- परिवादी की ओर से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एल०आर० दोहरे द्वारा आपत्ति दिनांकित-18-05-2009 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि *''अभियुक्त वर्ष 1985 में मे० माधव महेश सुगर मिल्स मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती में कारखाना प्रबन्धक के रूप में कार्यरत थे। इसिलये कर्मचारी भविष्यनिधि एवं मिसलिनियस प्राविजन एक्ट 1952 की धारा-2 (ई) की उपधारा-II व II के प्राविधान लागू होते हैं और अभियुक्त कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फण्ड के सम्बंध में एकमात्र उत्तरदरायी अधिकारी रहे हैं। अभियुक्त ने अपने प्रार्थना -पत्र में स्वीकार किया है कि वह स्पेशल आफिसर के पद पर कार्यरत थे और जनरल मैनेजर की तरफ से प्राविडेन्ट फण्ड कार्यालय में पत्राचार किये हैं। कथन अभियुक्त पूर्णतया मिथ्या एवं असत्य है। उपरोक्त कथन करते हुये प्रार्थना पत्र वास्ते उन्मोचन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।''*

4- **<u>आधार निगरानी:-</u>** निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने निगरानी मेमो यह कहा गया कि *''विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-9-2022 नियम कानून तथ्य एवं साक्ष्य के विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत् आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने न्यायिक मस्तिष्क एवं विवेक का उपयोग नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस मुकदमे में पूर्व में पारित आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 123/2010 देवेन्द्र बहादुर सिंह बनाम प्राविडेन्ट फन्ड इन्सपेक्टर आदि में पारित निर्णय / आदेश दिनाक 06-03-2012 के आब्जर्वेशन पर बिना विचार किये आदेश दिनांक 13-9-2022 पारित किया गया है। इस मुकदमे में निगरानीकर्ता ने दिनांक 17-04-2009 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र डिस्चार्ज विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना बिचार किये सरसरी तौर पर आदेश दिनांक 13-09-2012 पारित किया गया है जो प्रत्येक दृष्टिकोण से निरस्त होने योग्य है।विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र डिस्चार्ज दिनांक 17-04-2009 दिनाक 13-05-2010 को खारिज करने में गम्भीर त्रुटि व अवैधानिकता किया था। आदेश दिनाक 13-05-2010 के विरुद्ध निगरानीकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सख्या 123/2010 देवेन्द्र बहादुर सिंह बनाम प्राविडेन्ट फन्ड इन्सपेक्टर आदि प्रस्तुत किया जिसमे उभयपक्षो की सुनवाई कर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट संख्या 1 ने निर्णय दिनांक 06-03-2012 पारित किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 13-05-2010 को अपास्त कर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुनः उभय पक्षों का तर्क सुन कर इस निर्णय में किये गये प्रेक्षणो के प्रकाश मे अभियुक्त/निगरानीकर्ता के द्वारा धारा 245 दण्ड प्रक्रिया संहिता के दिये गये उन्मोचन प्रार्थना पत्र को पुनः विधि अनुसार निस्तारित करने का आदेश पारित किया।विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका संख्या 123/2010 देवेन्द्र बहादुर सिंह बनाम प्राविडेन्ट फन्ड इन्सपेक्टर में पारित निर्णय के*

प्रेक्षणो के प्रकाश में प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र 245 पर विचार किये बगैर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है और निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता माधव महेश शुगर मिल्स स्थित मुण्डेरवा इकाई उ० प्र० कार्पोरेशन में लॉ आफिसर/ स्पेशल आफिसर के पद पर कार्यरत थे। अभियोजन पक्ष का यह कथन कि निगरानीकर्ता फैक्ट्री प्रबन्धक के पद पर कार्यरत थे, पूर्णतया गलत एवं आधारहीन है। फैक्ट्री प्रबन्धक के पद पर निगरानीकर्ता की नियुक्ति हुई ही नही थी। विपक्षी ने ऐसा कोई आदेश विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नही किया है जो निगरानीकर्ता को फैक्ट्री प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किये जाने का प्रमाणित करता है। निगरानीकर्ता प्राविडेन्ट फन्ड आदि की कटौती के लिए कदापि सक्षम अधिकारी नहीं थे और न ऐसा करने के लिए अधिकृत थे। विवेचना एवं निषकर्ष विद्वान विचारण न्यायालय बिल्कुल गलत एवं साक्ष्यो के विरुद्ध है। इस कारण भी प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय विधिक स्थिति और निगरानीकर्ता की नियुक्ति/पद पर विचार नहीं किया, निगरानीकर्ता मैनेजर के अधीन लॉ आफिसर के पद पर कार्यरत रहे और उसी पद से सेवा निवृत्त हो गये। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रेक्षणो पर बिचार नही किया गया है, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 13-09-2022 निरस्त होने योग्य है।अतः प्रार्थना है कि निगरानी याचिका स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 13-09-2022 सरकार बनाम मे० माधव महेश शुगर मिल्स मु० नं0 438/06 निरस्त किया जावे।''

6- निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुना गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 13-09-2022 का परिशीलन किया गया। इसके साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय से तलबशुदा मूल पत्रावली का भी परिशीलन किया गया।

7- प्रस्तुत मामले में अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या विद्वान विचारण ने आलोच्य आदेश दिनांकित 13-09-2022 पारित करने में कोई क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि, अनियमितता अथवा अवैधता कारित की है अथवा नहीं?

8- पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत निगरानी क्रिमिनल केसं नं० - 2902596/1986 (पुराना नम्बर) नया नम्बर क्रिमिनल केस संख्या-438/2006 में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 13-09-2022 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र दिनांकित 17-04-2009 खारिज कर दिया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आरोप विरचित करने के लिये मात्र प्रथम दृष्टया केस अभियुक्त के विरूद्ध बनना चाहिए। इस प्रकार अभियुक्त को उन्मोचित तभी किया जा सकता है जब उसके विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई केस बनना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित नहीं होता है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिस केस में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी संस्थित की गयी है उसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है , अतः प्रस्तुत निगरानी निष्फल हो गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया केस बनना दर्शित होता है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में कोई अवैधानिकता कारित नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त विद्वान विचारण न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 05-08-2025 को विद्वान विचारण

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, बस्ती द्वारा क्रिमिनल केसं नं०-2902596/1986 (पुराना नम्बर) नया नम्बर क्रिमिनल केस संख्या-438/2006 थाना मुण्डेरवा, जनपद बस्ती में निर्णय पारित करते हुये अभियुक्त (निगरानीकर्ता) डी०बी० सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया है। अतः प्रस्तुत निगरानी निष्फल (Infructuous) हो गयी है। तदनुसार निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्तवर्णित विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत आपराधिक निगरानी संख्या 117/2022, देवेन्द्र बहादुर सिंह बनाम प्रेविडेन्टफण्ड इंसपेक्टर आदि निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13-09-2022 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति के साथ तलबशुदा पत्रावली अविलम्ब वापस भेजी जाये। निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये।

दिनांकः- 09-10-2025

(जेबा)
(जे.ओ.कोड.UP-2647)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-2,बस्ती।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः-09-10-2025

(जेबा)
(जे.ओ.कोड.UP-2647)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-2,बस्ती।